Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. V, Issue X, April-2013, ISSN 2230-7540

REVIEW ARTICLE

भारत में निर्वाचन तंत्र का परिचय

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. V, Issue X, April-2013, ISSN 2230-7540

भारत में निर्वाचन तंत्र का परिचय

Kavita[1] Dr. Suman Bai[2]

[1]Research Scholar, Singhania University, Pacheri Bari, Jhunjhunu, Rajasthan

[2]Assistant Professor, PKSD College, Kanina (Mahendergarh)

----------X----------

भारतीय गणतंत्र की विगत लगभग छः दशकों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कार्यकरण ने भारत में निर्वाचन तंत्र की सक्षमता की आवश्यकता को रेखांकित तो किया ही, साथ ही इस बात का भी प्रमाण प्रस्तुत किया था कि भारत में निर्वाचन तंत्र सामान्यतः निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू और सुदक्ष निर्वहन में सक्षम सिद्ध हुआ है।

भारत के निर्वाचन तंत्र का यह विलक्षण पक्ष है कि निर्वाचन आयोग के संवैधानिक संस्तर तथा उसके कार्यकरण में स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया गया है। विश्व के अन्य लोकतंत्रों में निर्वाचन तंत्र का सृजन सामान्य विधियों के अधीन किया गया है तथा निर्वाचन तंत्र को केवल वैधानिक संस्तर प्रदान किया गया है। भारत में निर्वाचन आयोग को प्रदान किया गया संवैधानिक संस्तर स्वतन्त्र और पवित्र निर्वाचनों के प्रति संविधान निर्माताओं को अभिव्यक्त करता है।

निर्वाचन व्यवस्था में निर्वाचनों के प्रशासन और प्रक्रिया के निष्पादन के अतिरिक्त भी अनेक अन्य सन्दर्भों में भी विकृतियाँ परिलक्षित हुई हैं। ऐसी विकृतियों वस्तुतः निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागी प्रतियोगी पक्षों द्वारा येनकेन प्रकारेण अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के कारण परिलक्षित हुई है। इन विकृतियों में निर्वाचनों में भुजबल और धनबल के प्रयोग, सत्ता के दुरुपयोग, तथा जाति और साम्प्रदायिक भावना आदि के आधार पर निर्वाचन को प्रभावित करने की प्रवृत्तियों की गणना की जा सकती है। यह भी अनुभव किया गया है कि निर्वाचन आयोग को निर्वाचन के निष्पादन के सम्बन्ध में जिस प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर रहना पड़ता है उस पर आयोग का प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रह पाता। इस न्यूनता के कारण निर्वाचन के सुदक्ष निष्पादन में आयोग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

"हमारे संविधान ने आधुनिक उदारवादी दर्शन के सार तत्व सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया है, परन्तु इसके पूरे अर्थ का अभी उद्घाटन होना है; अभी इसे न्याय स्वतन्त्रता तथा क्षमता के उदात्त लक्ष्यों की सिद्धि का शासन बनाना शेष है। यदि हमें इस महत् तथा भव्य आदर्श को यथार्थ के धरातल पर लाना है तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि अपने निर्वाचन प्रक्रमों के वास्तविक स्वरूप तथा त्रुटियों एवं विकृतियों का परिचय प्राप्त करें और उनकी शुद्धता की रक्षा के लिए पृथक् प्रयास करे।"–डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी

"भारत में जिन सुधारों की आवश्यकता है वे ये हैं कि निर्वाचन विधि तुरन्त ही यह उपबन्धित करे की प्रत्येक उम्मीदवार के लिए दलीय उम्मीदवार होना आवश्यक हो और सम्बन्धित दल का पंजीकरण आम चुनावों में कम–से–कम एक वर्ष पूर्व कराया जाये। यदि किसी दल को कुल किये गये मतों का एक न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत कह लीजिए लोकसभा में तीन प्रतिशत और राज्य विधानसभा में पाँच प्रतिशत प्राप्त नहीं हो तो उस दल के प्रतिनिधित्व का अधिकार समाप्त हो जाना चाहिए।"–डॉ. जे.डी. सेठी

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत ने लोकतन्त्र को अपनाया किन्तु आधुनिक भारत लोकतान्त्रिक संस्थाओं का सूत्रपात भारतीय परिषद् अधिनियम 1861 से माना जा सकता है। यद्यपि भारत में वयस्क मताधिकार को स्वतन्त्रता के पश्चात् अपनाया गया किन्तु सीमित मताधिकार स्वतन्त्रता पूर्व ब्रिटिश भारत में प्रारम्भ हो चुका था।

भारत में निर्वाचन का प्रारम्भभारतीय परिषद अधिनियम 1892 से होता है। इस कानून द्वारा प्रान्तीय और केन्द्रीय विधायी परिषद के कुछ अशासकीय स्थानों के लिए सीमित एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का प्रावधान प्रथम बार किया गया।

भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इस अधिनियम में निर्वाचन के सूक्ष्म प्रावधानों को स्पष्ट एवं व्यापक रूप से अंगीकार किया गया। यह निर्वाचन के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है।

भारत सरकार अधिनियम 1919 :– 1909 के बाद माण्टेग्यू–चैम्सफोर्ड सुधार अधिक संवैधानिक और महत्वपूर्ण थे इसमें केन्द्रीय विधायिका परिषद के लिए प्रथम बार मताधिकार की बात रखी गई। इसमें तीन भिन्न–भिन्न निर्वाचन व्यवस्था नखी गयी। (1) प्रथम–प्रान्तीय, (2) द्वितीय–विधानपरिषद् से सम्बद्ध (3) राज्यों की परिषद् से सम्बद्ध।

भारत सरकार अधिनियम 1935 में निर्वाचन प्रक्रिया :–1935 श्री लिनलिथगो के आधार पर 1935 में भारत सरकार अधिनियम बना। इसमें प्रान्तों को अपनी सुविधानुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा सदस्यों को भेजने की स्वतन्त्रता थी।

केबीनेट मिशन के अन्तर्गत संविधान सभा के निर्वाचन की व्यवस्थाः– 1946 में लार्ड पैथिक लॉरेन्स की अध्यक्षता से त्रिस्तरीय मिशन भारत आया जिसने संविधान सभा के निर्माण हेतु प्रमुख रूप से निर्वाचन की व्यवस्था का निर्धारण किया।

15 जून, 1949 को अम्बेडकर ने एक केन्द्रीय निर्वाचन आयोग जो कि केन्द्रीय एवं राज्यों के निर्वाचन का दायित्व संभालेगा के व्यापक प्रबन्ध के संदर्भ में संविधान सभा में नया अनुच्छेद प्रस्तुत किया गया।

www.ignited.in

विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र भारत अपने विगत 60 वर्षों के अनुभव से स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत में केवल मतदान द्वारा शान्तिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तान्तरण होना केन्द्र राज्यों में अलग–अलग राजनीतिक दलों/गठबन्धनों की सरकारे होने के बावजूद भी देश की एकता अखण्डता अक्षुण बने रहना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि लोकतान्त्रिक मूल्यों में भारतवासियों का विश्वास और निष्ठा कितनी अटूट है, देश की सर्वोच्च विधायिका लोकसभा के पन्द्रह तथा राज्यों में लगभग इतने ही आम चुनाव सफलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से करा लेने में भारत निर्वाचन आयोग की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत के लिए ब्रिटेन में 16वीं शताब्दी के प्रचलित *थ्पतेज च्वेज जीम च्वेज ैलेजमउ*कहा जाता है को अपनाना अधिक श्रेयस्कर समझा इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों में से सर्वाधिक वैध मत पाने वाले उम्मीदवार लोक सभा/ राज्य सभा/ विधान सभा/ स्थानीय नगर निकाय / पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचित हो जाता है। चूँकि भारतीय संविधान लागू होने के बाद हुए सभी चुनावों (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को छोड़कर) केवल इसी प्रणाली को अपनाया है इसलिए ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि लोकतान्त्रिक निर्वाचन की यह सर्वाधिक स्वाभाविक प्रणाली है।

वर्तमान इस प्रणाली की लोकप्रियता के भारतीय चुनाव व्यवस्था का सम्पूर्ण स्वरूप बिगाड़ दिया है इस प्रणाली के अन्तर्गत अधिकांश उम्मीदवार 50 प्रतिशत से भी कम मत लेकर विजयी हो जाते हैं। भारत में अब तक लोकसभा के 15 आम चुनाव हो चुके हैं। प्रथम आम चुनाव मतदाता 17.30 करोड़ थे जबकि 2009 के अन्तिम लोकसभा चुनावों में यह संख्या बढ़कर 71.42 करोड़ की विशालता पर पहूँची। प्रथम चुनाव में मात्र 1864 उम्मीदवार (प्रत्याशी) थे जबकि 2009 में यह संख्या 8070 थी। प्रथम चुनावों में खर्चा 10.45 करोड़ था जबकि 2009 के चुनावों में बढ़कर 9700.00 करोड़ रुपये हो गया जो कि हमारे सामने बड़ा संकट है। अगर इसी तरह चुनावों का खर्च बढ़ता गया तो यह तो निश्चित है कि हमारा जनतन्त्र धनिकों के तन्त्र में बदल जाएगा। यहाँ न केवल सरकार बल्कि स्वयं प्रत्याशी द्वारा भी करोड़ों रुपये पानी तरह बहाये जाते हैं। मुख्यतः भारतीय चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरियों में ***थ्पतेज च्वेज जीम च्वेज ैलेजमउ***तथा जाति धर्म सम्प्रदाय की चुनावी राजनीति है।

भारत में अब तक लोकसभा के 15 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी समय–समय पर होते रहे हैं। इन चुनावों के परिणामों का विश्लेषण करने से मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले मुद्दों और कारणों का पता लगाना आसान है।

भारत में प्रथम आम चुनाव लोकतन्त्र के इतिहास में एक साहसिक प्रयोग था इसके लिए अप्रैल 1950 में संविधान सभा द्वारा कानून पारित किये जाने के बाद से ही तैयारी प्रारम्भ की गयी श्री सुकुमार सेन को भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और चुनाव के लिए मतदाता सूचियाँ तैयार करते हुए समस्त भारत में 17 करोड़ 30 लाख मतदाताओं को पंजीकृत किया गया।

भारतीय जनता की अशिक्षा और राजनीतिक परिपक्वता को दृष्टि में रखते हुए मतदान की पद्धति बहुत सरल रखी गई और मतदान केन्द्रों पर अलग–अलग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह मतपेटिया रखते हुए व्यवस्था की गई। प्रथम चुनाव में लगभग 4 माह का लम्बा समय (25 अक्टूबर, 1951 से 21 फरवरी, 1952) लगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (निर्वाचक नामावलियों की तैयारी) 1956, नई दिल्ली, विधि मन्त्रालय, भारत सरकार

2. निर्वाचन आयोग द्वारा आम निर्वाचन से लेकर अब तक सम्पन्न सभी आम निर्वाचनों, मध्यावधि निर्वाचनों के प्रतिवेदन एवं वार्षिक प्रतिवेदन।

3. राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग का प्रतिवेदन।

4. अय्यर, एस.पी. तथा श्रीनिवासन, आरः स्टडीज इन इण्डियन डेमोक्रेसी, बम्बई, एलाईड पब्लिशर्स, 1965.

5. अली, सबीक : ए सर्वे ऑफ दी जनरल इलेक्शन्स, 1957, नई दिल्ली, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, 1959

6. भल्ला, आर.पी. : इलेक्शन्स इन इण्डिया, दिल्ली, एस. चॉद एण्ड कम्पनी, 1972

7 ज्वाइन्ट प्रेस रिलीज एट द कनक्ल्यूजन ऑफ द फर्स्ट सार्क सम्मिट (ढांका), 8 दिसम्बर, 1985

8 बंगलौर डिक्लेरेशन, (सैकण्ड सम्मिट) ऑफ हैड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेन्ट (बंगलौर), 16–17 नवम्बर 1986.

9 ज्वाइन्ट प्रेस रिलीज एट द कन्क्ल्यूजन ऑफ द सैकण्ड सार्क सम्मिट (बंगलौर), 17 नवम्बर 1986

10. भवगती, जगदीश एन. तथा अन्य : इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन दी इण्डियन स्टेट्स, दिल्ली, मनोहर, 1975

11. भण्डारी, के : इण्डियाज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, दी इलेक्शन्स आर. कारवेज, नई दिल्ली, 1988

12. चतुर्वेदी, आर.जी.: स्टेट एण्ड राइट्स ऑफ मैन, दिल्ली, मैट्रोपोलिटन, 1971

13. चण्डीदास तथा अन्य (सम्पा.) इण्डिया वोट्स : ए सोर्स बुक ऑन इण्डियाज इलेक्शन्स, नई दिल्ली, ट्यूमिनिटिज प्रेस, 1968

www.ignited.in